

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

श्री सुरलाल वनाम तहसीलदार खण्डेला

मुकदमा नं० 136 R.L.R. 19/04 मुकदमा नं० 19/04 सन् 2018


हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>21/03/18 वकील प्राणी श्री सुभाष चन्द्र शर्मा ने दायिर अदालत छोड़ प्राथमिक पत्र 136 R.L.R. 19/04 पेश किया जिसे 19/04/2018 को पेश किया जावे। अग्रिम की नकल - जरीर नजम की फाउण्डेशन प्रवाली 19-04-2018 को पेश हो।</p>	<p>19/04/18</p>
	<p>19/04/18 पत्रावली पेश हुई। वक्तव्य फरिकन अम/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी बोसे। अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-06-18 को पेश हो।</p>	
	<p>27/06/18 पत्रावली आज राजस्व लोड अदालत अभियान न्याय आपुडे 5912 2018 के तहत हेम सचल पंचायत समिति खण्डेला में पेश हुई। वकील प्राणी ने अपने प्राथमिक पत्र में अंशित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुलोप मिथ्या पारित करने का निवेदन किया। वकील प्राणी के निवेदन पर अभिधारी तहसीलदार खण्डेला ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं मजमे आम में प्रस्ताव कर फर्द में रिपोर्ट बनाई गई। मुताबिक फर्द में रिपोर्ट प्राणी के पिता की वलियत में</p>	<p>No objection 27/06/18</p>

राजस्व रेकार्ड में गोपी दर्ज है जगति प्राची के पिता की सही वादियत गोपालराम हैं जो दुरुकात किया जाना उचित है।

अतः प्राची का प्राचीन एवं लघुहस्ताक्षर किया जाकर अज्ञेय किया जाना है कि :-

निर्णय

तन ग्राम मेहरों की (गो), तहसील खण्डेला अपरखण्ड कृषि ग्राम ख. नं. 3377, 3887 में प्राची के पिता का नाम "रुद्राराम पुत्र गोपी" के स्थान पर "रुद्राराम पुत्र गोपाल राम" दुरुकात किया जाना है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल परामर्श से तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेशा जारी हो। पत्रावली फैसल कुमार लोहर नम्बर 10 डम हो तथा बाद तहसील दाखिल नम्बर हो। निर्णय मजमे आम सुनाया गया।



(Signature)
जाकीरुद्दौलत
उपरखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सिवा)